FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

रामकिशन बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 नं. 137 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/10/25	ग्राम सेवा शिविर 2025 के तहत आयोजित कैम्प स्थान ग्राम पंचायत कसार में प्रार्थी रामकिशन की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम गिरधरपुरा (बोरकुई) पटवार हल्का डोल्या में स्थित भूमि खाता संख्या 26 में प्रार्थी का नाम किशना पुत्र माधो दर्ज है। जबकि आधार कार्ड में रामकिशन पुत्र माधो दर्ज है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में नाम सही दर्ज किये जाने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार लाडपुरा से जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा किशना पुत्र माधो का राजस्व रिकॉर्ड में नाम किशना उर्फ रामकिशन पुत्र माधो किये जाने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम गिरधरपुरा (बोरकुई) पटवार हल्का डोल्या में स्थित भूमि खाता संख्या 26 में किशना पुत्र माधो के स्थान पर किशना उर्फ रामकिशन पुत्र माधो दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर ग्राम सेवा शिविर 2025 के तहत आयोजित कैम्प स्थान ग्राम पंचायत कसार में सुनाया गया। (गजेन्द्र सिंह) उपखण्ड अधिकारी कोटा	